भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1029
(दिनांक 08.02.2022 को उत्तर देने के लिए)

निजी टीवी चैनलों के लिए दिशानिर्देश

1029. श्री जी. एम. सिद्देश्वर:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी टीवी चैनलों के लिए नए अप लिंकिंग और डाउन - लिंकिंग दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शिकायतों के बाद ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और इंटरनेट तथा मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के साथ कई परामर्श किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परामर्शों के परिणाम का ब्यौरा क्या है और टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) तथा ओटीटी मुद्दों का समाधान किस हद तक कर लिया गया है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): मंत्रालय द्वारा प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए नए अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों की अधिसूचना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार को ऑवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर कार्यक्रमों की सामग्री के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और 2019 तथा 2020 के दौरान इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) सहित ओटीटी प्रचालकों के साथ कई बार परामर्श किए गए। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के भाग-III में अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफार्मो) के प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने के लिए आचार संहिता का प्रावधान है।

इन नियमों में आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों/परिवादों की जांच करने के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

टेलीविजन रेटिंग प्वांइट्स (टीआरपी) के संबंध में, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काऊंसिल (बार्क) ने इस मंत्रालय को बताया है कि विश्वसनीय और पारदर्शी रेटिंग प्रणाली के लिए पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण हेतु इसने अपने कॉपोरेट शासन में सुधार करने, अपनी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, निगरानी तंत्र मे संशोधन करने, डाटा के लिए सुलभता प्रोटोकाल का नवीनीकरण और ठोस बनाने आदि जैसे कई कदम उठाए हैं। एक स्थायी निगरानी समिति का भी गठन किया गया है।

*****